

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s 3B Farms N Resorts LLP.,
1623, Sector-15, Part-II,
Gurugram.

क्रमांक 03 / एम0बी0

दिनांक 10/01/2025

विषय:— **Application for Issuing NOC of Aravali.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, पटौदी व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:—

तहसीलदार, पटौदी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2056/रीडर दिनांक 23.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार द्वारा M/s 3B Farms N Resorts LLP 1623, सैक्टर-63, पार्ट-II, गुरुग्राम के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित किला नम्बरान की रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

1. उपरोक्त खसरा नम्बरान में 07.05.1992 के अनुसार मिसल हकीयत से अराजी किस्म भूमि गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड का राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
2. बिन्दू नं0 3 पर वर्णित अराजी जरई जमाबन्दी साल 2021-22 की खेवट नं0 218 पर वर्णित किला नं0 102//18-19-22-23-24-25/1 किता 6 रकबा 46 कनाल 18 मरला पर बरूवे इंतकाल नं0 16565-16790-16927-17506 अनुसार श्रीमती तारा पत्नी श्री महाबीर पुत्र रामानन्द शर्मा 96/469 भाग वा श्री निवास पुत्र श्री प्रभूदयाल पुत्र रामसिंह 130/469 भाग वा लाल सिंह यादव-गोपाल कृष्ण यादव पुत्रान श्री शिवनारायण यादव हर दो समभाग 460/4221 भाग वा श्रीमती दीक्षा यादव पत्नी श्री ईशान यादव 103/2814 भाग वा श्रीमती प्रमिला पत्नी तेजपाल 247/8442 भाग वा विद्या देवी पत्नी श्रीराम नारायण 23/201 भाग वा पुष्पा पत्नी ज्ञानचन्द्र 23/201 भाग वा अल्का गोयल पत्नी पवन गोयल 23/201 भाग वा खेवट नं0 232 पर वर्णित बरूवे ई0 नं0 16793-17106 अनुसार किला नं0 110//4/2-5/1 किता 2 रकबा 2-17 सालम M/s 3B Farms N Resorts LLP वासी सैक्टर-15, गुरुग्राम मालकान है वा खेवट नं0 218 पर किस्म चाही है। वा खेवट नं0 232 पर किस्म गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड अनुसार पूर्ण विवरण है।
3. वर्णित प्रार्थना पत्र में दशाई गई अराजी जरई मिसल हकीयत/चकबन्दी तक हाल/शामलात देह/पंचायत देह/नगरपालिका/नगर निगम की मलकियत बारे राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
4. अराजी जरई का न्यायालय केस बारे राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
5. अराजी जरई NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Economical Zone) बारे राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 पर धारा 4, 6 वा अवार्ड बारे राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा मलकियत बिन्दू नं0 2 पर पूर्ण इन्द्राज दर्शाया हुआ है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1587-G दिनांक 21.10.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 24.09.2024 (M/s 3B Farms N Resorts LLP.) को गांव पटौदी, जिला गुरुग्राम के 5.475 एकड एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन निम्नलिखित शर्त अनुसार जारी की गई है:—

1. If There is a Need for cutting trees, It will be mandatory to obtain separate permission from forest Department. जिसमें लिखा है कि Applicant Manshu Tyagi, (M/s 3B Farms N Resorts LLP,) having Rectangle No./Murba No. 102//18(8-0), 19min East-north(3-13), 19min West-south(1-4),

22min West-north-south(6-2), 22min East-north(0-3), 23 min East-north-south(6-12), 23min West-south(0-0), 24(8-0), 25/1(6-18), 110//4/2(1-4), 5/1(1-13) Total Land Measuring 5.475 Acre In The Revenue Estate Of Village Pataudi, Tehsil Pataudi District Gurugram made a proposal to use this land for Noc for Residential Plotted Colony Under-2016. It is made clear that:-

- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s 3B Farms N Resorts LLP**, whose land is located at **Village Pataudi, Teh. Pataudi, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To the Conditions Mentioned Above And If There Is A Need For Cutting Trees, It Will Be Mandatory To Obtain Separate Permission.

अतः तहसीलदार, पटौदी व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको **Village Pataudi, Teh. Pataudi, District Gurugram** की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि If There Is A Need For Cutting Trees, It Will Be Mandatory To Obtain Separate Permission. अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।